

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 768 / 11-सी- FP/UP/ROAD/117639/2020, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 02, 2025
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/03/2024/एफ०सी०/98, दिनांक 05.08.2024, पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/03/2024/एफ०सी०/110, दिनांक 27.08.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-711/ मी०क्षे०/33, दिनांक 14.08.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-711/ मी०क्षे०/33, दिनांक 14.08.2025 द्वारा इस कार्यालय को अपलोड कर दिनांक 02.09.2025 को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

02.09

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 768 / 11-सी-FP/UP/ROAD/117639/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत प्रकरण के अद्यतन स्थिति को वन विभाग के वेबसाइट पर बनाये गये पोर्टल पर Proposal का विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

02.09

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक— 711 / मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 14- 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:—

जनपद—सोनभद्र के अंतर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या—यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:—

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक— 8बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ.सी./98, दिनांक—05.08.2024 एवं पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ.सी./110, दिनांक—27.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से भारत सरकार के संदर्भित पत्रों द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक—301/ओबरा/15-भू0ह0, दिनांक 08.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वांछित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एतदसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृती (स्टेज-2) जारी कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या— /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 301 / ओबरा / 15-भू0ह0 दिनांक- 08.08.2025.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0 /98 दिनांक-05.08.2024, पत्रांक-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक-27.08.2024, इस कार्यालय के पत्रांक-540/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-05.09.2024, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 तथा पत्रांक-813/67135 दिनांक-28.07.2025.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी /यू0पी0/06/03 /2024/एफ0सी0/98 दिनांक-05.08.2024, तथा पत्रांक-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक-27.08.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किया गया। जिसका बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-957/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-28.08.2015 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 तथा पत्रांक-813/67135 दिनांक-28.07.2025 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। जिसके आधार पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या चार प्रतियों में मय संलग्नक सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिलीप कुमार तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी सोनभद्र महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिन्दुवार अनुपालन आख्या को नियमानुसार परिवर्ष पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

(दिलीप कुमार तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 अरक्षित वनभूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक-05.08.2024 तथा पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक-27.08.2024 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति का बिन्दुवार अनुपालन आख्या:-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-08बी /यू०पी०/०६ /०३/२०२४/एफ०सी०/९८ दिनांक- ०५.०८.२०२४ तथा पत्र संख्या-०८बी/यू०पी०/०६/०३/२०२४/एफ०सी०/११० दिनांक -२७.०८.२०२४ में लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या																														
1	2	3																														
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-1)																														
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4.00ha. Non Forest Land (NFL) suitable for plantation out of 15.567 ha. Non Forest Land (NFL) provided for CA & 23.134 ha. Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:- <table><tr><th>S. No.</th><th>Details of CA</th><th>CA Prposed in Area (Ha)</th><th>Total Area (in Ha)</th><th>Name of the forest division</th></tr><tr><td>1</td><td>5380 Kha Mi, Village Jugail</td><td>2.4353 ha (NFL)</td><td rowspan="5">Out of 15.567ha. Non Forest Land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00ha NFL as per CA scheme</td><td rowspan="5">Obra Forest Division</td></tr><tr><td>2</td><td>5381 Mi, Village Jugail</td><td>0.3461 ha (NFL)</td></tr><tr><td>3</td><td>5384 Village Jugail</td><td>0.5411 ha (NFL)</td></tr><tr><td>4</td><td>5385 Kha Village Jugail</td><td>1.3218 ha (NFL)</td></tr><tr><td>5</td><td>5382 Kha Mi Village Jugail</td><td>10.9227 ha (NFL)</td></tr><tr><td>6</td><td>Compartment No 7, Jugail Range</td><td>13.134ha (DFL)</td><td rowspan="2">23.134ha</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>7</td><td>Compartment No 8, Jugail Range</td><td>10.00 ha (DFL)</td></tr></table>	S. No.	Details of CA	CA Prposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha)	Name of the forest division	1	5380 Kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha (NFL)	Out of 15.567ha. Non Forest Land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00ha NFL as per CA scheme	Obra Forest Division	2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha (NFL)	3	5384 Village Jugail	0.5411 ha (NFL)	4	5385 Kha Village Jugail	1.3218 ha (NFL)	5	5382 Kha Mi Village Jugail	10.9227 ha (NFL)	6	Compartment No 7, Jugail Range	13.134ha (DFL)	23.134ha		7	Compartment No 8, Jugail Range	10.00 ha (DFL)	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की वांछित कुल धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेराबन्दी हेतु आर०सी०सी० खम्भे एवं कांटेदार तार हेतु वांछित कुल धनराशि मु० 89,12,721.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2 से 2/1 तक)
S. No.	Details of CA	CA Prposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha)	Name of the forest division																												
1	5380 Kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha (NFL)	Out of 15.567ha. Non Forest Land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00ha NFL as per CA scheme	Obra Forest Division																												
2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha (NFL)																														
3	5384 Village Jugail	0.5411 ha (NFL)																														
4	5385 Kha Village Jugail	1.3218 ha (NFL)																														
5	5382 Kha Mi Village Jugail	10.9227 ha (NFL)																														
6	Compartment No 7, Jugail Range	13.134ha (DFL)	23.134ha																													
7	Compartment No 8, Jugail Range	10.00 ha (DFL)																														
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की वांछित कुल धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेराबन्दी हेतु आर०सी०सी० खम्भे एवं कांटेदार तार हेतु वांछित कुल धनराशि मु० 89,12,721.00 सम्मिलित है।																														

		भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
4	Forest land will be handed over only after required non-forest land (15.567 ha.) for the project is handed over by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 15.567 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के खाते में अमलदरामद हो चुका है। प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा उद्धरण खतौनीयों की प्रति संलग्न किया गया है। (संलग्नक-3 से 3/9 तक)
5	The non-forest land of 15.567ha. provided for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non- forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 15.567 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के खाते में अमलदरामद हो चुका है तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-13/81-2-2025-29(13)-2025 दिनांक-21.07.2025 द्वारा उक्त गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 29 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-4 से 4/2 तक)
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.567 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PL.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06.01.2022 in this regards.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की वांछित कुल धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें एन०पी०वी० की कुल धनराशि मु० 1,49,09,762.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-5)
8	User agency shall restrict the felling of trees to 34 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभावित कुल 34 वृक्षों के छपान/गणना हेतु वांछित धनराशि मु० 782.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा सोनभद्र के नाम भुगतान किया गया है (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6) एवं उल्लिखित वृक्षों के पातन हेतु वांछित आंशिक धनराशि मु० 163450.00 का भुगतान Managing Director UP Forest Corporation को किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6/1) प्रस्तावक विभाग द्वारा उ०प्र० वन निगम रेनुकूट द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांग करने पर भुगतान करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6/2)
9	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-813/67135 दिनांक-28.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र०

A

	Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	शासन के पत्र संख्या-121/81-2-2024-800 (283)/2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य पाया गया। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-7) अतः transplanting of trees लागू नहीं है।
10	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की वांछित कुल धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें सोलर पम्प हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 2100000.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
11	Non Forest Land (NFL) provided for CA shall be adequately fenced for complete protection.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वन भूमि की घेराबन्दी हेतु आर0सी0सी0 खम्भे एवं काटेदार तार हेतु वांछित धनराशि का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
12	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-8)
13	No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-9)
14	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की वांछित कुल धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 24,45,961.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
15	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-10)
16	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक सम्पर्क मार्ग वन्य जीव क्षेत्र/ Protected Area में नहीं है। अतः अण्डर/ओवर

A

		पास की आवश्यकता नहीं है।
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-11)
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-12)
19	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-13)
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas,	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-14)
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-15)
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-16)
23	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-17)
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-18)
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-19)
26	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E- Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वर्तमान में तकनीकी कारणों से e-green watch portal ओपेन नहीं हो रहा है, जिस कारण हस्तान्तरण हो रहे भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु चयनित भूमि का के0एम0एल0 फाईल अपलोड किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ओपेन होते ही हस्तान्तरण हो रहे भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु चयनित भूमि का के0एम0एल0 फाईल e-

		green watch portal पर अपलोड कर दिया जायेगा।
27	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-20)
28	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made. to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-21)
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-22)
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https:// parivesh .nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से जनरेट ई-चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है।
31	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh .nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने के उपरान्त, अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।


 प्रभागीय चर्चाधिकारी,
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

पत्रांक : 813/67135

दिनांक : 28.07.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
जनपद - सोनभद्र।

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग (चौ० 0.000 से 20.600 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 15.5670 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू०पी०/०६/०३/२०२४/एफ०सी०/११० दिनांक 27.08.2024
- (2) आपका पत्रांक- 540/ओबरा/१५ भू०ह० दिनांक, 05.09.2024
- (3) इस कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
9	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन के कार्यालय के पत्र संख्या-121/81-2-2024-800(283)/2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य होना पाया गया। छायाप्रति संलग्न है। अतः transplanting of trees लागू नहीं है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या-121/81-2-2024-800 (283)/2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक-1796/ओबरा/15 दिनांक-29.01.2024 के कम में दिनांक-01.02.2024 को जनपद-सोनमढ़ के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0 वार्ड0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा हेम सम्पर्क मार्ग के मौके का पुनः निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित कुल 34 वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है।

दिनेश कुमार (21/९/२१)
(दिनेश कुमार यादव)
बीट/सेक्शन प्रभारी,
ओबरा रेंज।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा रेंज।

(मयंक पाण्डेय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा।

(विनोद कुमार)
अवर अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0विभाग, सोनमढ़।

(स्वरूप कुमार)
सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0विभाग, सोनमढ़।

(अधिरासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0 विभाग, सोनमढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।
पत्रांक : 1345 / UPB7145 दिनांक : 21.12.2024
सेवा में,

विषय :- प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
जनपद - सोनभद्र।

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत चोपन महलपुर रोड से परसोई बाया खेयन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग (चै० 0.000 से 20.800 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 15.5670 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8वी/यू०पी०/०६/०३/२०२४/एफ०सी०/११० दिनांक 27.08.2024
(2) आपका पत्रांक- 540/ओबरा/१५ भू०ह० दिनांक, 05.09.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS																														
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-1)।																														
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4.00 ha. Non Forest Land (NFL) suitable for plantation out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) provided for CA & 23.134 ha. Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows :- <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Details of CA</th><th>CA Proposed in Area (Ha)</th><th>Total Area (in Ha.)</th><th>Name of Forest Division</th></tr><tr><td>1</td><td>5380kha Mi, Village Jugail</td><td>2.4353 ha. (NFL)</td><td rowspan="5">Out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00 Ha. NFL as per CA scheme.</td><td rowspan="5">Obra Forest Division.</td></tr><tr><td>2</td><td>5381 Mi, Village Jugail</td><td>0.3461 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>3</td><td>5384, Village Jugail</td><td>0.5411 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>4</td><td>5385 Kha, Village Jugail</td><td>1.3218 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>5</td><td>5382 Ka Mi, Village Jugail</td><td>10.9227 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>6</td><td>Compartment No. 7. Jugail Range</td><td>13.134 ha. (DFL)</td><td rowspan="2">23.134 Ha.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>7</td><td>Compartment No. 8. Dalla Range</td><td>10.00 ha. (DFL)</td></tr></table>	Sr. No.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha.)	Name of Forest Division	1	5380kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00 Ha. NFL as per CA scheme.	Obra Forest Division.	2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)	3	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)	4	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)	5	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)	6	Compartment No. 7. Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	23.134 Ha.		7	Compartment No. 8. Dalla Range	10.00 ha. (DFL)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन०पी०वी० की कुल वांछित धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेरावन्दी हेतु आर०सी०सी० खम्भे एवं कांटेदार तार हेतु वांछित कुल धनराशि मु० 89,12,721.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)।
Sr. No.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha.)	Name of Forest Division																												
1	5380kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00 Ha. NFL as per CA scheme.	Obra Forest Division.																												
2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)																														
3	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)																														
4	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)																														
5	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)																														
6	Compartment No. 7. Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	23.134 Ha.																													
7	Compartment No. 8. Dalla Range	10.00 ha. (DFL)																														
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन०पी०वी० की कुल वांछित धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेरावन्दी हेतु आर०सी०सी० खम्भे एवं कांटेदार तार हेतु कुल वांछित धनराशि मु० 89,12,721.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)																														
4	Forest land will be handed over only after required non-forest land (15.567 ha.) for the project is handed over by the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में खतौनी की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।																														

5	The non-forest land of 15.5670 Ha. Provided for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	इस बिन्दु के अनुपालन में खतोनी की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.567 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PL.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06.01.2022 in this regards.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन0पी0वी0 की कुल वांछित धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें एन0पी0वी0 की कुल धनराशि मु0 1,49,09,762.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-4)।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 34 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन अवगत कराना है कि प्रभावित कुल 34 वृक्षों के छपान/गणना हेतु वांछित धनराशि मु0 182.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी, ओबरा सोनभद्र के नाम भुगतान किया गया है (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6) एवं उल्लिखित वृक्षों के पातन हेतु वांछित आंशिक धनराशि मु0 163450.00 का भुगतान Managing Director UP Forest Corporation को किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5/1) उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांग करने पर भुगतान करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5/2)
9	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	-
10	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन0पी0वी0 की कुल वांछित धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें सोलर पम्प हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 2100000.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
11	Non Forest Land (NFL) provided for CA shall be adequately fenced for complete protection.	इस बिन्दु के अनुपालन में घेराबन्दी हेतु आर0सी0सी0 खम्भे एवं कांटेदार तार हेतु ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। भुगतान रसीद की छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
12	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector,	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।
13	No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।

14	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	इस बिन्दु के अनुपालन में पौधरोपण हेतु वांछित धनराशि रु0 2445961.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। भुगतान रसीद की छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
15	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।
16	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयक सम्पर्क मार्ग वन्य जीव क्षेत्र/Protected Area में नहीं है। अतः अण्डर/ओवर पास की आवश्यकता नहीं है।
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
19	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।
23	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-17)।
26	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E- Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-18)।
27	Any order of temporary Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Sanivardhan) Adhiniyam, Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-19)।
28	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-20)।

	guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-21)।
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य सगस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है।
31	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	इस बिन्दु के अनुपालन में बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित है। अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने के उपरान्त, अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)
अधिरासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0-सोनभद्र।

पत्रांक :-

दिनांक: -

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 वाराणसी।

अधिरासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0-सोनभद्र।